राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

HCM RIPA

F11(16)/HCM RIPA/2023-00114/ 14949 दिनांक : 27/10/2023

कार्यालय–आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा आयोजित की गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा (बैच–2021) के प्रशिक्षु अधिकारियों की पूर्व संस्थानिक परीक्षा में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों के लिए दिनांक 06.11.2023 से 08.11..2023 की अवधि में (दो पारियों में) आयोजित की जाने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा (बैच–2021) के अधिकारियों की विशेष संस्थानिक परीक्षा में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

Roll No.	Name of Examinee	Address
01	MANASVI NARESH	Office of Sub-Divisional Officer, Gangrar, Chittorgarh (Raj.)-312901
02	SAPANA KUMARI	Office of Assistant Collector (HQ), Civil Lines, Nayapura, Kota (Raj.)-324001

परीक्षा कार्यक्रम

Date	Session	Time	Paper No.	Subject/Name of Paper
06-11-2023	Morning	10:00 AM to 01:00 PM	I	Revenue and Fiscal Laws
	Evening	02:30 PM to 05:30 PM	II	Regulatory and General Laws
07-11-2023	Morning	10:00 AM to 01:00 PM	III	Progressive and Development Laws
	Evening	02:30 PM to 05:30 PM	IV	Computer Application
08-11-2023	Morning	10:00 AM to 01:00 PM	V	General Administration and Practical Approach

परीक्षा स्थल/केन्द्र : संवाद/एन. 217, नेहरू भवन, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा–कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।

2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नही होगी।

3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा–कक्ष में अनुमत नहीं होगी।

4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।

6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नही है।

7 परीक्षा–कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी कायम रखनी होगी। Signature valid

RajKaj Ref 4973331

Digitally signed by Me[illegible]nakshi Khangarot
Designation : [illegible]ate Professor
Date: 2023.10.2[illegible]0:54:39 IST
Reason: Approved

8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भांति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।

9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।

11 परीक्षा–कक्ष छोडने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।

12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

F11(16)/HCM RIPA/2023–00114/ 14950-60 दिनांक : 27/10/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. जिला कलेक्टर, कोटा (राज.)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (T&P), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (परिसर–नेहरू भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षा–कक्षों की साफ–सफाई एवं बैठने की उचित व्यवस्था हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित करावें।
7. ए.सी.पी. (उप निदेशक) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा–कक्षों में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करावें।
9. संबंधित परीक्षार्थी (रोल नं. 01 से 02) सर्वश्री..
10. रक्षित पत्रावली।

एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

Signature valid

Phone: 0141-2706556, 2715222 ☐ Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in ☐ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in

RajKaj Ref
4973331

Digitally signed by M...nakshi Khangarot
Designation : ...ate Professor
Date: 2023.10.2... 0:54:39 IST
Reason: Approved